कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक 1523 /अजिंद/2020 भोपाल,दिनांक 26 मई, 2020

//संशोधित आदेश//
(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी अनुसार भोपाल जिले में कोरोना के लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है तथा सम्पूर्ण भारत में भी उक्त वायरस का प्रकोप जारी है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टि से मैं तरूण कुमार पिथोड़े, जिला मजिस्ट्रेट भोपाल एतद् द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाता है :—

1— जिले में पूर्व में घोषित टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा, टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

2— जिले की सभी सीमाएँ सील की जाती है, जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है।

3— जिले में निवासरत नागरिकों का भी जिले की सीमा से बाहर जांना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।

4— समस्त लोक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसे टैक्सी, आटो रिक्शा, ई—रिक्शा भी शामिल है को बंद किया जाता है।

5— सभी स्कूल, कालेज, शिक्षण प्रशिक्षण, कोचिंग सस्थान बंद रहेगें ।

6— समस्त सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल,हाट बाजार,जिमनेशियम, स्वीमिंग पूल, पार्क, बार, होटल, स्पा, सैलून आदी स्थल बंद किए जाते है।

7— समस्त धार्मिक स्थल बंद किए जाते है।

8— समस्त सामाजिक राजनैतिक खेल, शैक्षाणिक धार्मिक,समारोह प्रतिबंधित रहेगें।

9— अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर शेष कारणों हेतु व्यक्तियों के आवगमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। **इस रात्रि कर्फयू का कडाई से पालन कराना सुनिश्चित करना होगा ।**

10— 65 वर्ष की आयु से अधिक वृद्धजनों, गर्भवती महिलाओं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं समस्त ऐसे व्यक्तियों जिसको अन्य बीमारियॉ हैं, को अत्यावश्यक सेवायें एंव स्वास्थ्य संबंधित कारणों के अलावा, अपने घर से बाहर निकलने पर प्रतिबन्ध किया जाता है।

11— कन्टेन्मेंट जोन में ओ.पी.डी. एंव क्लीनिक का संचालन प्रतिबंधित किया जाता है।

12— सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटका, तंबाकु, सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा।

TKP

Scanned with CamScanner

उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में केवल कनटेन्मेंट एवं बफर क्षेत्र के बाहर हेतु शिथिल रहेंगें:—(कनटेन्मेंट/बफर क्षेत्रों का अद्यतन विवरण **bhopal.nic.in** की वेब—साईट पर उपलब्ध है) ।

13— अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेय जल प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मिडिया, टेलीकॉम इंटरनेट पोस्टल सेवाएँ, कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु बैंक, ए.टी.एम. (वाहन) आदि कार्यालय एवं इससे संबंधित कर्मचारीगण इससे मुक्त रहेंगे।

14— समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय कार्यालयों (केन्द्र, शासन संबधित कार्यालय सहित) 50 प्रतिशत स्टाफ से ज़्यादा उपस्थिति न होते हुए संचालन की अनुमति रहेगी परन्तु कन्टेन्मेंट ज़ोन के अंतर्गत आने वाले स्टाफ को कार्यालय में जाने की अनुमति नही रहेगी। समस्त स्टाफ को अरोग्य सेतु ऐप उपयोग करना अनिवार्य है।

15— समस्त सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य है।

16— शादी/विवाह समारोह, जिसमें कुल 10 व्यक्ति से ज़्यादा उपस्थित न हो, को सोशल डिस्टेन्सीगं का पालन करते हुए, घर पर शादी/विवाह समारोह कराने हेतु अनुमति रहेगी।

17— अंतिम संस्कार हेतु जिसमें कुल 10 व्यक्ति से ज़्यादा उपस्थित न हो को सोशल डिस्टेन्सीगं का पालन करते हुए अनुमति रहेगी।

18— आपटिशियन दुकान जो डॉक्टर के परामर्श से चश्में का ग्लास, फ्रेम आदि बदलने हेतु खुलने की अनुमति रहेगी।

19— उपरोक्त स्थिति में नगर निगम द्वारा खाना/सब्जी/फल/किराना वितरण प्रणाली चालू रहेगी।

20— भोपाल जिले में सांची पार्लर में किराना, खाद्य पदार्थ रखने एवं विक्रय करने की अनुमति रहेगी।

21— प्रवासी श्रमिक, छात्र—छात्राओं एवं अन्य जिला/राज्य में फंसे हुऐ लोंगों को शासन द्वारा आवागमन हेतु टेक्सी/बस/ट्रेन का परिवहन इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

22— एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन से निवास स्थान तक आने एवं जाने के लिए निजी वाहन अथवा टेक्सी की अनुमति रहेगी।

23— स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम को (खेलकूद गतिविधियों के लिए) कनटेन्मेंट क्षेत्र को छोड़कर खोलने की अनुमति दी जाती है, परंतु दर्शक उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

24— चिकन/मटन/फिश का पार्सल/होम डिलीवरी सेवाएं हेतु दुकाने खुली रहेगी।

25— पी.डी.एस. दुकान सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड—19 रोकथाम हेतु सावधानियां सुनिश्चित करते हुए टोकन प्रणाली के आधार पर सीमित लोगो को प्रतिदिन राशन वितरण करने हेतु अनुमति दी जाती है।

JRP

Scanned with CamScanner

26— **ग्रामीण क्षेत्र** में कन्टेन्मेंट ज़ोन को छोड़कर अन्य समस्त दुकानें (मॉल छोड़कर) खोलने की अनुमति रहेगी। हाट बाजार की अनुमति नही रहेगी।

27— **शहरी क्षेत्र** में कन्टेन्मेंट ज़ोन छोड़कर समस्त स्टेण्ड अलोन (अकेले) (रहवासी कॉलोनियों के अंदर स्थित हैं।) दुकानों की अनुमति रहेगी। हाट बाजार एवं हॉकर्स कार्नर की अनुमति नही रहेगी।

28— **मार्केट क्षेत्र में निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी —**

भोपाल शहरी क्षेत्र में पुराने शहर एवं बैरागढ क्षेत्र को छोडकर एवं कंटेन्मेंट/बफर क्षेत्र को छोड़कर **(कनटेन्मेंट/बफर क्षेत्रों का अद्यतन विवरण bhopal.nic.in की वेब–साईट पर उपलब्ध है)** स्थित समस्त थोक बाजार एवं रिटेल मार्केट से विक्रेताओं को समस्त वस्तुओं का लोडिंग/अनलोडिंग, परिवहन एवं बिकी की अनुमति निम्नानुसार रहेगी —

कमांक	वस्तुओं की दुकान	दिन	समय
01	कपडा,जूते चप्पल,स्टेशनरी, किताब	सोमवार एवं गुरूवार	प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक
02	इलेक्ट्रानिक्स,हार्डवेयर,इलेक्ट्रिकल्स, मोबाईल	मंगलवार एवं शुक्रवार	प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक
03	ज्वेलरी/सर्राफा(बर्तन)/कास्मेटिक एवं अन्य।	बुधवार एवं शनिवार	प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक
04	किराना,अत्यावश्यक वस्तुओ आदि वाहन रिपेयर/ स्पेयर पार्टस दुकाने।	समस्त दिन	प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक
05	मेडिकल स्टोर	समस्त दिन	समस्त समय

नोट :–

1. **मेडिकल स्टोर, किराना, अत्यावश्यक वस्तु संबंधित दुकानों को छोडकर रविवार को मार्केट में स्थित समस्त दुकानें बंद रहेगी।**
2. **कोई भी हॉकर्स के लिये अनुमति नही रहेगी।**

Scanned with CamScanner

पुराने शहर की दुकानों को खोलने की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी –

कंटेन्मेंट/ बफर क्षेत्र को छोड़कर **(कनटेन्मेंट/बफर क्षेत्रों का अद्यतन विवरण bhopal.nic.in की वेब–साईट पर उपलब्ध है)** चौक बाजार/सर्राफा चौक/लखेरापुरा/इब्राहिमपुरा/नदीम रोड/लोहा बाजार / मारवाडी रोड/लालवानी प्रेस रोड/इतवारा रोड एवं आसपास के क्षेत्रों :–

कमांक	वस्तुओं की दुकान	दिन	समय
1	1–रिटेलर–रेडीमेड/होजरी /इलेक्ट्रानिक मार्केट व्यापारी। 2–परदा क्लाथ/ कुशन कवर/टॉबल/चादर/कंबल। 3–चूड़ी /पर्स /बटुआ एवं क्राकरी एवं समस्त अन्य सामान की दुकाने।	सोमवार एवं गुरूवार	प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक
2–	1–सर्राफा व्यवसायी/ होलसेल होजरी/ रेडीमेड व्यवसायी। 2–फुट वियर व्यवसायी। 3–क्राकरी होलसेलर/ कास्मेटिक/जनरल स्टोर रिटेल।	मंगलवार एवं शुक्रवार	प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक
3–	1–साड़ी/सूटिंग शर्टिंग एवं कपडा। 2–कास्मेटिक होलसेल व्यवसायी/ स्टेशनरी होलसेल व्यवसायी। 3–होलसेल इलेक्ट्रानिक उपकरण मार्केट।	बुधवार एवं शनिवार	प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक
नोट :– <u>मेडिकल स्टोर, किराना, अत्यावश्यक वस्तु संबंधित दुकानों को छोडकर रविवार को मार्केट में स्थित समस्त दुकानें बंद रहेगी।</u>			

कंटेन्मेंट/ बफर क्षेत्र को छोड़कर **(कनटेन्मेंट/बफर क्षेत्रों का अद्यतन विवरण bhopal.nic.in की वेब–साईट पर उपलब्ध है) बैरागढ/लालघाटी/गॉधीनगर की दुकानों को खोलने की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी**

क0	वस्तुओं की दुकान	दिन	समय
1–	कपड़ा/जूते/चप्पल/स्टेशनरी बर्तन/सर्राफा/मोबाइल दुकान /इलेक्ट्रानिक्स्/इलेक्ट्रीकल्स/ हार्डवेयर।	शनिवार एवं मंगलवार को छोडकर शेष दिन मार्केट खुला रहेगा	प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक

उपरोक्त समस्त क्षेत्रों मे फेस मास्क, हाथ का सेनेटाईज़ेशन, सोशल डिस्टेसिंग, दुकान का सेनेटाईजेशन, सुनिश्चित करने की जिम्मेदार दुकानदारों की रहेगी।

Scanned with CamScanner

29— बेकरी/बेक्ड वस्तुओं/रेडी टू ईट की पार्सल/होम डिलीवरी सेवाऐं हेतु दुकाने खुली रहेगी।

30— पशुओं और पक्षियों को खाना/भूसा वितरण हेतु अनुमति रहेगी।

31— कन्टेनमेंट एरिया के बाहर वाले इलाके में आटा चक्की, की दुकान खुली रहेगी।

32— कूलर, फ्रिज, ए.सी., पंखा, आदि होम डिलेवरी करने हेतु दुकान खुल सकती है।

33— दीनदयाल अंत्योदय कम्युनिटी किचन, रेस्टोरेंट, होटल एवं मिठाई की दुकान को सिर्फ होम डिलेवरी/होम टिफिन/पार्सल सेवायें, इससे मुक्त रहेगें।

34— पेट्रोल पम्प एवं एल.पी.जी. गैस कम्पनी इण्डेन, भारत, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन के बकानिया डीपो से गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति संबंधित समस्त सेवायें इस आदेश से मुक्त रहेंगी।

35— घर—घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विकेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6.30 बजे से 9.30 बजे तक टोटल लॉकडाउन से मुक्त रहेंगें।

36— अगर किसी व्यक्ति को जिले से बाहर निकलना या जिले के बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो, तो ई—पास प्रणाली के अंतर्गत विधिवत सबूत अपलोड कर पास प्राप्त करने पर ही अनुमति होगी।

37— यह स्पष्ट किया जाता है कोई भी अकेले/स्वंय अत्यावश्यक सेवाऐं या वस्तुओं की पूर्ति/खरीदी के लिए निकटतम दुकान/सेवाप्रदाता तक पैदल अथवा वाहन से जाने हेतु किसी भी पास की आवश्यकता नही होगी। पूछताछ करने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा इस विषय हेतु संतोषजनक उत्तर देने पर कोई आगामी कार्यवाही किया जाना आवश्यक नही होगा।

38— अत्यावश्यक सेवायें, वस्तुओं एवं संस्थाएं जो इस पत्र में उल्लेखित हैं के संबंधित उद्योग, परिवहन, भण्डारण, वितरण, व्यापार संबंधित समस्त सेवायें एवं इससे जुडे मानव संसाधन जो कन्टेन्मेंट क्षेत्र से बाहर है इस आदेश से इस विषय हेतु मुक्त रहेंगें परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में कन्टेन्मेन्ट ज़ोन छोड़ कर शेष समस्त क्षेत्रों में समस्त औद्योगिक गतिविधियॉ, निर्माण कार्यो, मनरेगा कार्यो हेतु अनुमति रहेगी।

39— उपरोक्त परिस्थिति में उपयोग होने वाले प्रत्येक ट्रक/मालगाड़ी में दो चालक एवं एक हेल्पर एवं प्रत्येक निजी फोर व्हीलर गाड़ी में चालक एंव अधिकतम दो व्यक्ति एवं प्रत्येक टू—व्हीलर केवल चालक हेतु अनुमति रहेगी।

40— कनटेन्मेंट क्षेत्र को छोड़कर समस्त इण्डस्ट्री को खोलने की अनुमति रहेगी। थर्मल स्केनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हेंड वाशिंग, सेनेटाईजेशन के सभी एस.ओ.पी. अनिवार्यतः पालन करना होगा।

41 कनटेन्मेंट क्षेत्र को छोड़कर कृषि उपकरण/वाहन रिपेयरिंग/स्पेयर पार्टस/मोबाइल रिपेयर एवं रिचार्ज की दुकाने खोलने की अनुमति रहेगी।

42— कनटेन्मेंट क्षेत्र को छोड़कर इन्फ्रास्ट्रचर एवं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एवं संधारण कार्य की अनुमति दी जाती है, जिसमें लोक निर्माण विभाग/नगर निगम/ राजधानी परियोजना प्रशासन एवं अन्य बिल्डर्स को भी अनुमति दी जाती है। निर्माण श्रमिकों का कार्य स्थल पर या आस—पास ही निवास करना अनिवार्य है। निर्माण कार्य हेतु ईट, रेत, गिट्टी, सीमेंट सेनेटरी सामान, सरिया, पेन्ट, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल सामग्री के निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं वितरण की अनुमति इस शर्त पर रहेगी कि उक्त सामग्री का कार्य स्थल पर डिलीवरी की जा सकेगी।

Scanned with CamScanner

43– कनटेन्मेंट क्षेत्र को छोड़कर **कोचिंग संस्थानों** को 50 प्रतिशत स्टॉफ तक की उपस्थिति के साथ ऑनलाईन कोचिंग हेतु रिकार्डिंग करने की अनुमति रहेगी।

44– श्रमिक/कर्मचारी/अन्य व्यक्तियों को अपने साथ **वोटर आई.डी. कार्ड/ कार्यालय आई.डी. कार्ड रखना अनिवार्य है,** ताकि उसकी पहचान हो सके एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव किया जा सके।

उपरोक्त समस्त कंडिकाएं मे अंकित इस आदेश के तहत जो सेवाएं मुक्त की गई है, जब तक विशेष रूप से उल्लेखित नही हो, जिले के अंदर हेतु कोई पृथक से कोई अनुमति/पास लेने की आवश्यकता नही है। उपरोक्त सभी बिन्दुओं मे कन्टेनमेंट क्षेत्र से कोई भी स्टाफ/व्यक्ति को कार्य स्थल पर न बुलाया जावेगा।

उपरोक्त सभी स्थितियों में **सोशल डिस्टेंसिग** एवं कोविड–19 रोकथाम हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्थाऐं अनिवार्यतः सुनिशिचित करना होगा, इस हेतु संबंधित दुकान/संस्था के प्रभारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी। समस्त एस0डी0एम0/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी सोशल डिस्टेसिंग प्रणाली एवं अन्य शर्तो को दुकानों एवं अन्य संस्थानों से सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत् निगरानी रखते हुए पालन न करने पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूँकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदे ा की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे। अतः यह आदे ा एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदे ा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश 27 मई 2020 से लागू रहेगा।
यह आदेश दिनांक 26.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

TKP
(तरूण कुमार पिथोड़े)
कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी
जिला–भोपाल

क्रमांक 1524 /अजिंद/2020 भोपाल, दिनांक 26 मई, 2020

प्रतिलिपि : **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1– प्रमुख सचिव,म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2– आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल।
3– पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल ज़ोन भोपाल।
4– निदेशक एयरपोर्ट अथोरिटी भोपाल।
5– उप पुलिस महानिरीक्षक, शहर रेंज, भोपाल।
6– आयुक्त नगर पालिक निगम, भोपाल।
7– समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, समस्त एडीएम/समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भोपाल।
8– समस्त पुलिस अधीक्षक/समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/समस्त नगर पुलिस अधीक्षक/समस्त थाना प्रभारी भोपाल।
9– अधीक्षक,हमीदिया हास्पिटल, भोपाल/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन,जेपी हास्पिटल भोपाल/जिला आयुष अधिकारी एवं सभी चिन्हित/अधिकृत स्वास्थ्य संस्थायें या नोडल अधिकारी भोपाल।
10– केन्द्र निदेशक आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल।
11– उप संचालक, संभागीय जनसंपर्क भोपाल की ओर सूचनार्थ।
12– प्रभारी अधिकारी पुलिस नियंत्रण कक्ष, जहॉगीराबाद भोपाल।

TKP
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–भोपाल

Scanned with CamScanner